



उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
145/2014 वादी	212 RTA	मोहनी	छबड़ा
मोहनीबाई		बनाम	राजीबाई वगैरे
		वाद शीर्षक	प्रतिवादी

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

<p>3/12/14</p>	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.02.2015 को पेश हो</p>	<p></p>
<p>2/2/15</p>	<p>आज पीठणीय अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30/3/15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               सैंडर              न्यायालय उपखण्ड अधिकारी              छबड़ा बारां         </p>	<p>2/3/15 म.स. 1</p>
<p>30/3/15</p>	<p>वकील द्वारा 29/3/15 को मसूदा वाद वाकील सम्मन के मूल वाद में 2,3 वीं क्रम उम्मेद सिंह प्रिया जो को न्यायालय में पेश हो गया है, प.स. वाद न्याय के लिये 30/3/15 को तलब किया गया प्रतिवादी की पक्षी करते जवाब में प्रतिवादी ने 1 की तलबी हेतु रिपत्र दिनांक 18-5-15 को प्रकरण पेश होवे।</p>	<p></p>
<p>2/6/15</p>	<p>प्रकरण 212 RTA मजसे धारा 212 के अन्तर्गत के न्याय कोर्ट न्यायालय पर पेश, मूल वाद मजसे धारा फिल हो गया है, यह भी पत्र 212 RTA भी फिल हुआ होइ सविस्तर सफावर हो।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              छबड़ा जिला बारां (राज.)         </p>	<p></p>